न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024/119
मुकदमा नम्बर 31/2024 दर्ज दिनांक– 07.03.2024

मेहर सिंह पुत्र झाबरसिंह जाति जाट निवासी खिरोड, तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू
–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ
–अनावेदक

वकील आवेदक :– श्री सज्जन कुमार चाहर
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 14.10.2024**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम खिरोड पटवार हल्का खिरोड की सरहद में भूमि खाता सं. 204 पुराना 162 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 324,325,326,338 रकबा कमशः 2.58, 0.02,2.78,0.10 है0 जो प्रतिवादीगण की कृषि भूमि है, जिसमे से खसरा नं. 338 रकबा 0.10 है0 में कदीमी रास्ता जो नजरी नक्शे के बिन्दु ए से बी व आगे तक चालू है, उक्त रास्ता मौके पर पिछले 70 वर्षो से चालू है जिसको जमाबन्दी मे गै.मु. रास्ते के रूप मे दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी सं. 13 को दिये जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। अनावेदक सं. 1 लगा. 11 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर इस प्रकरण में इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अनावेदक सं. 12 की और से वकील सुश्री मनिषा बुटोलिया उपस्थित हो कोई जवाब पेश नही किया गया। अनावेदक सं. 13 की और से पैरो. राज. उपस्थित। तहसीलदार नवलगढ से रिपोर्ट कमांक/भू.अ./1266 दिनांक 23.04.2024 पेश हुई, जो शामिल मिसल की गई। जिसके अनुसार भूमि काफी समय से रास्ते के रूप में काम में आ रही है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगोर सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आवेदक अपने प्रा. पत्र को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने मे असमर्थ रहे। धारा 136 एल. आर. एक्ट के तहत प्रावधान सिमित है। आवेदक ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया है जिससे यह जाहिर एंव साबित हो की रिकार्ड गलत दर्ज हुआ हो और उसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक हो। वैसे भी आवेदक के पास रास्ता गै.मु. दर्ज करवाने हेतु अन्य विकल्प उपलब्ध है।

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र साक्ष्यों द्वारा साबित नही होने तथा धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय/आदेश आज दिनांक 14.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुनू

170

TOR रिपोर्ट 1266 ...

Scanned with CamScanner